

# मालय उप जिला कलेक्टर टोडागीम जिला करीली

39/18

तारीख - 04/07/2018

उपनाम - शिवदयाल आदि बनाम रामेश्वर वगैरे

प्रार्थना पत्र अर्थात् निवेदन

फर्द आकाश  
 प्रार्थी की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट एवं केपी माधव फारीक एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र मागत अर्थात् निवेदन अन्तर्गत घात आरटीएक्ट 212 के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी, राश्व पत्र, का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वर्गीत की अनर्हीम अर्थात् निवेदन के संबंध में बात की सुनी गई। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगणों के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अर्थात्गणों को अनर्हीम अर्थात् निवेदन से फायदा किता जाता है कि ग्राम पील लक्ष्मी टोडागीम स्थित 2000 905 रकबा 0.10 हे. 905 रकबा 0.06 हे. 907 रकबा 0.03 हे. कुल भिन्ना 3 कुल रकबा 0.19 हे. का 1/2 में मोके की व्यवस्था, आगामी तिथि तक बनाए रख। प्रार्थना पत्र अर्थात् निवेदन दर्ज होकर कर अर्थात्गणों को नोटिस जारी कर तत्पश्चात् मध्याह्नी दिनांक - 29-07-2018 को पेश हो।

25/11/20  
 1/11/18

  
 उपजिला कलेक्टर  
 करीली (करीली)

31-8-18  
 उपजिला कलेक्टर उप. / अर्थात् नं. 1, 5, 1, 2 के अर्थात् रूपना उप. नदी / अर्थात् नं. 2, 3, 4 के अर्थात् के अर्थात् तालुका प्रान्त / P.O. सुपुनापद रिकस अर्थात् अर्थात् दि. 31-8-18 को पेश हो।

31-8-18  
 उपजिला कलेक्टर उप. / अर्थात् नं. 1, 5, 1, 2 के अर्थात् एक पक्षीय कार्रवाई के अर्थात् दि. जोते है। अर्थात् नं. 2, 3, 4 के अर्थात् नं. 10 के अर्थात् तालुका प्रान्त अर्थात् अर्थात् दि. 31-8-18 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर  
 करीली (करीली)

# यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

आपी वकील उप/आपी वकील ने यह सूचना उपरि  
मह 23. मार्च 2019-वर्ष को का कपन का Not-Precedence  
का खारिज करने का निवेदन किया। आपी वकील द्वारा  
Not-Precedence दिये जाने से यह अपनितपत्र आम्बार्ड  
निवेदाज्ञा खारिज किया जाता है। फर्दवही जैसज सुमा  
होगा मन्त से का होगा दावा फर्दवही के साथ  
संलग्न रहे।

  
उपजिला कलक्टर  
टोडाभीम (करीम)

Not Precedence  
1-1879